राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1,राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(33)छात्रवृति/पोर्टल/कार्ययोजना/सान्याअवि/2022/3492 दिनांक 22.06.2022

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के बिन्दु संख्या 238 में राजकीय योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन व दस्तावेज अपलोड के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाइन प्रमाणीकरण का कार्य करने की घोषणा की गई थी एवं बिन्दु संख्या 24 के अन्तर्गत दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त करते हुए, प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए Deemed तथा Auto Approvaol के प्रावधान की घोषणा की गई थी। सरलीकरण के क्रम में मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र क्रमांक 3209 दिनांक 08.09.2021 में निर्देश प्रदान किए गए कि योजना के पात्रता संबंधी दस्तावेजों के स्थान पर जनआधार डेटाबेस के आधार पर ऑनलाईन प्रमाणीकरण कर योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) किया जाये । इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा भी पत्रांक 3462/2021 दिनांक 22.09.2021 जारी किया गया है ।

इसी प्रकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत जारी नवीन दिशा–निर्देश मार्च 2021 एवं सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्रांक 14011/04/2019–SCD–v दिनांक 22.03.2021 के अनुसरण में विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन पोर्टल पर छात्रवृति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करवाये जा रहे दस्तावेजों के स्थान पर ऑनलाइन प्रक्रिया से दस्तावेजों के स्वतः सत्यापन हेतु विभाग के पूर्व परिपत्र कमांक 54464 दिनांक 08.11.2021 द्वारा प्रावधान प्रभावी किये गये हैं।

इसी क्रम में छात्रवृति प्रक्रिया में और अधिक सरलीकरण किये जाने हेतु एवं केन्द्र सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना में पोर्टल पर निम्नांकित प्रावधान प्रभावी किये जाते हैं:–

1. सत्र 2022–23 से शिक्षण संस्था द्वारा पाठ्यक्रमवार व कक्षावार फीस का मदवार विवरण (फीस स्ट्रक्चर) सत्र आरम्भ में ही पोर्टल पर अंकित किया जायेगा तदनुरूप ही उस संस्था के सभी छात्रवृति आवेदन पत्रों में वह विवरण प्रदर्शित होगा। जिसके आधार पर शिक्षण संस्था द्वारा विद्याथी के शुल्क विवरण का सत्यापन किया जायेगा। शिक्षण संस्थान के सत्यापन अनुसार पाठ्यक्रमवार पुनर्भरण योग्य अधिकतम राशि अथवा विद्यार्थी द्वारा

संस्थान को भुगतान की गई राशि में जो भी कम हो का पोर्टल द्वारा स्वतः गणना कर प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान किया जाता है।

2. राजकीय संस्थानों के समस्त (Fresh & Renewal) व निजी संस्थानों के केवल नवीनीकरण (Renewal) आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता स्तर (विभागीय जिला कार्यालय) पर स्वतः सत्यापन की व्यवस्था के साथ प्रभावी किया जाता है।

3. विद्यार्थी/आवेदक के आवेदन में सत्यापन के दौरान शुल्क मद में संशोधन की आवश्यकता होने पर संस्थान स्तर पर ही संशोधन की व्यवस्था प्रभावी की जाती है।

4. विद्यार्थी/आवेदक की उपस्थिति के सत्यापन हेतु आधारबेस्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति का तंत्र छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा जिसके आधार पर ही आवेदन के अग्रेषण/सत्यापन व स्वीकृति की व्यवस्था प्रभावी की जाती हैं।

5. विद्यार्थी व शिक्षण संस्थान से तत्काल आवेदन अग्रेषित कराने हेतु दोनों को प्रत्येक 7 दिवस में चेतावनी संदेश (SMS) प्रसारित किए जाने का व आक्षेप पूर्ति नहीं करने पर 30 दिवस में आवेदन निरस्त किए जाने का प्रावधान प्रभावी किया जाता है।

6. पोर्टल पर माह मार्च 2020 से विद्यार्थी के गत वर्षों के आवेदन का विवरण विद्यार्थी के आवेदन पर ही सत्यापनकर्ता को प्रदर्शित किये जाने के कारण गैप प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है अतः इसे समाप्त किये जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है।

7. समान पाठयक्रम/कोर्स का दौहरान करने पर छात्रवृति देय नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी पूर्व में एक प्रोफेशनल कोर्स कर चुका है तो वह दूसरे प्रोफेशनल कोर्स हेतु अथवा समान स्तर वाले अन्य पाठ्यक्रम अथवा एक व्यवसायिक लाइन से अन्य व्यवसायिक लाइन के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो उसके द्वारा नवीन पाठ्यक्रम में छात्रवृति हेतु आवेदन नहीं कर सकने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है।

8. यदि कोई विद्यार्थी पूर्व में एक कोर्स का चयन कर छात्रवृत्ति का आवेदन करता है और उस कोर्स को अपूर्ण छोड़ देता है/कोर्स ब्रेक कर देता है, तो ऐसी स्थिति में अपूर्ण कोर्स में ली गई राशि वापिस जमा करवाने पर ही नवीन कोर्स में छात्रवृति हेतु आवेदन किये जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है।

9. राज्य से बाहर संचालित शिक्षण संस्थानों से पोर्टल पर सीधे ही पंजीयन प्रस्ताव प्राप्त कर निदेशालय स्तर पर परीक्षण कर पात्रतानुसार सत्यापन किये जाने का प्रावधान पोर्टल पर किये जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है।

10. .विद्यार्थी का आवेदन शिक्षण संस्थान से भी भरने का विकल्प एवं विद्यार्थी द्वारा मोबाइल एप से भी आवेदन करने का विकल्प दिये जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है।

11. विभाग स्तर पर आवेदन पत्रों के स्वतः अनुमोदित नहीं होकर मानवीय प्रक्रिया से सत्यापन होने की स्थिति में वेरीफायर स्तर पर आवेदनों को जाँचने की समय सीमा को 10 दिवस व जिलाधिकारी स्तर पर 04 दिवस तक किये जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है।

12. अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में विद्यार्थियों की छात्रवृति सुनिश्चित करने हेतु पोर्टल पर **फ्रीशिप कार्ड** का प्रावधान किया जाता है। इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अपना विवरण अंकित करने पर उसकी पात्रता का स्वतः सत्यापन होकर एक फ्रीशिप कार्ड जारी होगा। जिसको सम्बन्धित शिक्षण संस्था द्वारा स्वीकार किये जाने पर वह स्वतः ही छात्रवृति आवेदन के रूप में शिक्षण संस्थान के स्तर पर सत्यापन व अग्रेषण हेतु प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है।

13. आगामी शैक्षणिक सत्र में उपस्थिति/क्रमोन्नति के आधार पर छात्र का छात्रवृति नवीनीकरण हेतु स्वतः आवेदन निर्मित हो जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। इस हेतु शिक्षण संस्थानों को उपस्थिति एवं अकादमिक प्रदर्शन विवरण अंकन किये जाने हेतु पोर्टल पर प्रावधान किया जाता है।

14. निर्धनतम परिवार के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से छात्रवृति दिये जाने हेतु पोर्टल पर ऐसे पात्र विद्यार्थियों का चिन्हिकरण कर आवेदन निस्तारण की प्रक्रिया प्रभावी की जाती है।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4) छात्रवृति/पोर्टल/कार्ययोजना/सान्याअवि/2022/3493-3510 दिनांक 22.06.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
6. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
8. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
9. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त...।

10. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
11. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
12. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
13. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
14. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
15. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई–मेल करवाने हेतु।
16. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
17. उप निदेशक/सहायक निदेशक सान्याअवि समस्त को पालनार्थ।
18. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)